भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1047

उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 10 फरवरी, 2025

21 माघ, 1946, (शक)

स्मारकों का अतिक्रमण रोकना

1047. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सहित देश में कितने ऐतिहासिक स्थल/स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित हैं;

(ख) उक्त कितने स्थलों/स्मारकों पर अतिक्रमण किया गया है;

(ग) क्या सरकार उक्त स्थलों/स्मारकों पर अतिक्रमण रोकने के लिए सख्त उपाय अपनाए जाने पर विचार कर रही है; और

(घ): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उक्त समस्या के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय महत्व के कुल 3698 प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों की देखभाल करता है, जिनमें से 163 राजस्थान राज्य में स्थित हैं।

(ख) से (घ): कुछ स्मारकों और स्थलों में अतिक्रमण किया गया है। संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों में किए गए अतिक्रमणों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और उसके अतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार हटाया जाता है। अतिक्रमणों को रोकने और उन्हें हटाने के लिए, मंडलों के प्रभारी अधीक्षण पुरातत्वविद् को सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत अतिक्रमणकारियों को बेदखली नोटिस/आदेश जारी करने के लिए संपदा अधिकारी के अधिकार दिए गए हैं। उन्हें प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और नियम 1959 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भी अधिकृत किया गया है, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट को ऐसे अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए जाते हैं। अतिक्रमणों को रोकने और हटाने के लिए समय-समय पर संबंधित राज्य सरकारों/पुलिस अधिकारियों से भी सहायता मांगी जाती है। इसके अलावा, देश भर में चयनित स्मारकों/स्थलों की सुरक्षा के लिए नियमित पहरा और निगरानी स्टाफ के अतिरिक्त निजी सुरक्षा कर्मियों और सीआईएसएफ को भी तैनात किया गया है।

*****